

अपील संख्या:- जीसीएमएस नं. 2021/74

1. प्रभू पुत्र बिरजू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कमालपुर, तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव/अध्यक्ष नगर विकास न्यास अलवर तहसील व जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 24.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला अलवर के आदेश दिनांक 18.03.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 213/63 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 218/78 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 228/175 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 233/177 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में कायम खसरा नम्बर 93 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 215 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 256 रकबा 0.46 हैक्टर खसरा नम्बर 299 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.62 हैक्टर कुल किता 5 मिल रकबा 2.81 हैक्टर के खातेदार अपीलार्थी अपने बुजुर्गन के फुट पर अरसे दराज से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व से लगातार उपयोग-उपभोग कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2003 के खाता संख्या 2 के कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त मकबूजा मालिका दर्ज रिकार्ड है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2011 लगायत 2019 में खाता संख्या 2 के कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त मकबूज मालिक बुद्धा बेटा बलदेव को बहैसियत काश्तकार दर्ज किया हुआ है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से पूर्व से कब्जे काश्त होने के कारण खातेदार काश्त हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उन्हें खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किया और उपरोक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्ष 2009 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान

(2)

काश्तकारी अधिनियम सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के यहाँ राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर एवं तहसीलदार रामगढ के विरुद्ध प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 1/232 उनवनी प्रभू बनाम राजस्थान सरकार को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ अलवर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 14.10.2010 को डिक्री किया जाकर आराजी साबिक खसरा नम्बर 213/63 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 218/78 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 228/175 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 233/177 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में कायम खसरा नम्बर 93 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 215 रकबा 0.71 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.46 हैक्टयर खसरा नम्बर 256 रकबा 0.46 हैक्टयर खसरा नम्बर 299 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.62 हैक्टयर कुल किता 5 मिल रकबा 2.81 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया कि विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में गलत इन्द्राज सिवायचक की आड मे अपीलार्थी को जबरन बेदखल न करें इस प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जाने के का निर्णय डिक्री दिनांक 14.10.2010 पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों की रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 तहसीलदार रामगढ को सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.10.2011 एवं 28.10.2014 की अनुपालना में जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक राजस्व/भूरूपान्तरण जारी कर मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुरके पत्रांक 5955/5988 दिनांक 02.02.2011 के निर्देशों के अनुरूप अधिसूचना में शामिल इन गाँवों की सिवायचक भूमि को नगर विकास न्यास अलवर को हस्तान्तरित करने के आदेश को आधार बनाते हुए बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बिना पक्षकार कायम किये ही अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 10.03.2015 को तस्दीक कर दिया जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 10.03.2015 को यथावत रखे जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि-विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होने के आदेश उस व्यक्ति को नोटिस व सुनवाई का मौका प्रदान

P.T.O.

(3)

किये बिना पारित नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय ना तो अपीलार्थी को नोटिस दिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया, ना ही वास्तविक कब्जे की जाँच की गई ऐसे नामान्तरकरण को चुनौती दिये जाने की कोई समय सीमा कानून में बांधित न होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय व न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता, प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा नियमित वाद में पक्षकारों साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2010 को ही पारित करने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 18.03.2021 एवं तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 10.03.2015 अपीलार्थी के हक तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.10(23)/न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 के अनुसरण में जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक राजस्व/12/9902-13 दिनांक 31.10.2012 के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राजस्व ग्रामों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनोपयोगी प्रयोजनार्थ राजकीय कार्यालय एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि के आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए भूमि का चिन्हिकरण कर प्रस्तावित योजनाओं हेतु चिन्हित आरक्षित भूमि को दोड़कर शेष समस्त सिवायचक भूमि (प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) स्थानीय निकायों मे सम्मिलित राजस्व ग्रामों की भूमि को आज दिनांक 31.10.2012 को ही हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.10.2012 को ही अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश की पालना में नामान्तरकरण अपीलाधीन तस्दीक किया गया है तथा उक्त दिनांक को वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड होने से नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज हुई है। उन्होंने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं होते है तथा अपीलान्त द्वारा जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किये गये है उस आदेश को आदिनांक तक किसी भी समक्ष न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

(4)

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने भी अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार व जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार हुऐ है जिन आदेशों की कोई अपील नहीं की गई है। ऐसे में उक्त आदेशों के अस्तित्व में रहते नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के प्रकरण संख्या 1/232 उनवान प्रभू पुत्र बिरजू बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय दिनांक 14.10.2010 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया गया है तथा वदग्रस्त आराजी सम्वत् 2020 के सैटलमेन्ट से पूर्व जैसा वादी के बुजुर्गान के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज था उसी की भांति वादी के नाम अंकित बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट को दावे में ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है तो उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के कोई ठोस कारण तहसीलदार रामगढ के समक्ष नहीं थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 पारित किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 वाके ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर पर तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2015 को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर के दावा संख्या 1/232 उनवान प्रभू बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 14.10.2010 के अनुसरण में उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

(दिनेश कुमार शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।